[23/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 2638]

परिशिष्ट-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2638

केन्द्रीय जेलों में पूजा स्थलों की जानकारी

अ.क्र.	जेलों का नाम	सांकेतिक पूजा स्थलों का विवरण	उपलब्ध सुविधाएं
1	केन्द्रीय जेल बड़वानी	मंदिर एवं नमाज पढ़ने के लिए स्थान है। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	पक्का फर्श उपलब्ध है। शेड नहीं है।
2	केन्द्रीय जेल ग्वालियर	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श शेड आदि उपलब्ध हैं।
3	केन्द्रीय जेल रीवा	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श शेड आदि उपलब्ध हैं।
4	केन्द्रीय जेल सागर	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श, शेड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
5	केन्द्रीय जेल इंदौर	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श, पानी उपलब्ध है। शेड उपलब्ध नहीं है।
6	केन्द्रीय जेल जबलपुर	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श, शेड उपलब्ध नहीं है।
7	केन्द्रीय जेल उज्जैन	मंदिर, मस्जिद उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श, शेड उपलब्ध है।
8	केन्द्रीय जेल सतना	मंदिर, मस्जिद, चर्च उपलब्ध हैं। गुरूद्वारे नहीं है।	फर्श, शेड उपलब्ध नहीं है।
9	केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर	मंदिर हैं, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श है, शेड नहीं है।
10	केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम(होशंगाबाद)	मंदिर हैं, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श, शेड उपलब्ध है।
11	केन्द्रीय जेल भोपाल	मंदिर है, मस्जिद, गुरूद्वारे, चर्च नहीं है।	फर्श है तथा पृथक से प्रार्थना भवन उपलब्ध है।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी, कार्यपालन यंत्री
जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-ब

खण्ड - पांच

धर्म पर प्रभाव डालने वाली बातों पर नियंत्रण

CONTROL IN MATTERS AFFECTING RELIGION

नियम 672. सिख कैदियों को छूट (Concession to Sikh prisoners)-सिख कैदियों को निम्नलिखित छूट अनुज्ञात की जायेंगी –

(a) लम्बे बाल (केश) रखना:

(b) कंघा रखना :

(c) जांघिये के स्थान पर कच्छा पहनना, यदि संभव हो तो कच्छा घुटनों तक होना :

(d) लोहे का कड़ा पहने रहना :

(e) ऐसे प्रत्येक सिख कैदी को, जो कृपाण रखना चाहे जेल प्राधिकारियों द्वारा एक इंच लम्बी स्टील की बनी हुई एक छोटी सी कृपाण दी जायगी:

(f) उन्हें कनटोपी के बदले पगड़ी बांधने के लिये अनुज्ञात किया जायगा: (पगड़ी की लम्बाई जेल अधीक्षक द्वारा विनिश्चित की जायगी:

(g) प्रत्येक सिख कैदी को सप्ताह में एक बार तेल और साबुन या रीठा जो भी वह अपने बालों के लिये उपर्युक्त समझें, प्रदाय किये जायेंगे।

(h) मांस खाने वाले सिख कैदियों को, जब कभी संभव हो, झटका मांस (Jhatka Meat) दिया जाना चाहिये।

नियम 673. धर्म से जाति पर प्रभाव डालने वाले मामलों में हस्तक्षेप प्रतिषिद्ध है (Interference with matters affecting religion to cast prohibited)–(1) कैदियों के धर्म में हस्तक्षेप प्रतिषिद्ध है और हस्तक्षेप की शिकायतों के मामले में [1]{अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक अधीक्षक} यह अभिनिश्चित करने के लिये कि शिकायतें सही है अथवा नहीं उचित कदम उठायेगा। कार्य संबंधी नियमों को शिथिल नहीं किया जायगा किन्तु कैदियों को उचित समय में तथा ऐसे उचित स्थान पर जो कि [1]{अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक अधीक्षक} द्वारा प्राधिकृत किये जाय भक्ति-साधना करने दिया जायगा।

(2) जहां महिला अपराधी रखी गई हो उन सेलों में या बैरकों की दीवारों पर शीशे लगाये जाने चाहिये। कंधे सरकारी खर्च से प्रदाय किये जाने चाहिये।

(3) महिला अपराधी को स्वयं का गिलास या कांच की चूड़ियां रखने को अनुज्ञात किया जायगा। सोने या चांदी की कीमती चूड़ियां उनके पास नहीं रहने देनी चाहिये। यदि उनके पास चूड़ियां न हो या चूड़ियां टूट गई हो, तो वहां धर्म या रूढ़ि के अनुसार चूड़ियां पहनना अनिवार्य हों उसे सरकारी खर्च से प्लास्टिक की चार चूड़ियां प्रदाय की जानी चाहिये। स्थानीय रूढ़ि के अनुसार सिन्दूर सरकारी खर्चे से प्रदाय किया जाना चाहिये। मंगलसूत्र, नथ और अन्य पवित्र प्रतीक वस्तुएं स्थानीय रूढ़ि के अनुसार अनुज्ञात की जानी चाहिये। कीमती जेवरात कारागार कार्यालय में कैदी के खाते में निक्षिप्त किये जायेंगे। [1]{अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक अधीक्षक} ऐसी अन्य सुविधायें देने के लिये भी प्राधिकृत है जो स्थानीय रूढ़ियों के अनुसार महिला कैदियों को दी जानी आवश्यक हों। तथापि ऐसी सुविधाएं विभाग के साधारण नियमों के अधीन ही दी जायेगी।

नियम 674. धार्मिक नीतियों के पालन का कार्य (Religious observances)- कैदियों द्वारा जेलों में अपनी धार्मिक नीतियों के पालन का कार्य किये जाने से संबंधित निम्नलिखित नियम है–

(a) समस्त मुसलमान कैदियों को नियम 671 में बतलायें गये अनुसार बाल और दाढ़ी रखने की अनुज्ञा दी जायगी।

---

1. अधिसूचना क्र. एफ–तीन–69/2008 तीन–जेल 527 दि. 28-2-2009 द्वारा शब्द "अधीक्षक" के स्थान पर प्रतिस्थापित। म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ग) में दिनांक 13-3-2009 को प्रकाशित।

प्रभारी, कार्यपालन यंत्री
जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट-ब

(b) समस्त मुसलमान कैदियों को दिन में पांच बार और जूम्मे तथा अन्य महत्वपूर्ण त्यौहारों पर विशेष समयों पर नमाज पढ़ने के लिये अनुज्ञा दी जायगी उन्हें रमजान का रोजा रखने की अनुज्ञा दी जायगी, यदि चिकित्सा अधिकारी उन्हें शारीरिक दृष्टि से ऐसा कर सकने के योग्य समझता हो रोजा, रखने वाले कैदियों को सूर्यास्त के समय पूरे दिन का राशन प्रदाय किया जायगा जिसे कि अपने शयन बैरकों में ले जाने की उन्हें अनुज्ञा दी जायगी।

(c) किसी भी मुसलमान कैदी को, उसकी इच्छानुसार कुरान या कोई अन्य धार्मिक ग्रन्थ पास में रखना अनुज्ञात किया जायगा।

(d) प्रत्येक मुसलमान कैदी को ऐसे कैदियों के लिये मंजूर किया गया विशेष प्रकार का पेन्ट दिया जायगा।

(e) समस्त हिन्दू कैदियों के बाल तथा उनकी मूछें और विशेष रूप से चोटी रखने के संबंध में नियम 636 में अधिकथित की गई बातों के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

(f) ऐसे समस्त हिन्दू कैदियों को, जिनमें जनेऊ पहनने की प्रथा हो उसे रखने के लिये अनुज्ञात किया जायगा। ऐसे मामलों में जिनमें कि जेल में कार्य के पूर्व जनेऊ उतार लिया गया हो और यदि कैदी अपने लिये जनेऊ खरीदने में असमर्थ हो तो उसे सरकारी खर्च से जनेऊ दिया जाना चाहिये। हिन्दू मुख्य प्रहरी या प्रहरी को आवश्यक सामान खरीदने का काम सौंपा जायगा।

(g) समस्त हिन्दू कैदियों को आवश्यकतानुसार प्रार्थनाएं करने को अनुज्ञात किया जायगा और वे महत्वपूर्ण उपवास रख सकेंगें।

(h) प्रत्येक हिन्दू कैदी को उसकी अपेक्षानुसार रामायण या कोई अन्य धार्मिक पुस्तकें अपने पास रखने के लिये अनुज्ञात किया जायगा।

(i) समस्त सिख कैदियों के साथ उपरोक्त नियम 672 के अनुसार कार्यवाही की जायगी और उन्हें वे समस्त धार्मिक सुविधाएं दी जायगी जो अन्य वर्गों के कैदियों को अनुज्ञात की जाती है।

(j) ईसाई कैदियों को अपने धार्मिक नियमों के पालन करने के लिये अधीक्षक अधिकतम सुविधा की व्यवस्था करेंगे।

(k) यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि धार्मिक रूढ़ियों के पालन करने से जेल के काम को करने में या कैदियों को आबंटित किये गये कार्य को पूरा करने में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो।

(l) धार्मिक प्रवचनों या शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये कैदियों के एक साथ इकट्ठा होने की अनुज्ञा उचित सुरक्षा संबंधी प्रबन्ध का ध्यान रखते हुए अधीक्षक द्वारा दी जा सकेगी।

प्रभारी, कार्यपालन यंत्री
जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल